न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 48/2007

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– खेमाराम पुत्र समरथाराम के कायम मुकाम– 1.1– गिरधारीराम पुत्र खेमाराम 1.2– हुकमाराम पुत्र खेमाराम 1.3– कमलेश पुत्र खेमाराम 1.4– पूरो देवी पत्नी खेमाराम 1.5– लासी पुत्री खेमाराम 1.6– मांगी पुत्री खेमाराम 1.7– मीरो पुत्री खेमाराम 2– हीराराम पुत्र समरथाराम जाति जाट निवासीगण विशाला आगोर तहसील व जिला बाडमेर		1– भेरपुरी पुत्री सीतपुरी स्वामी 2– वलोतपुरी पुत्री सीरपुरी स्वामी 3– धोकलपुरी पुत्र सीतपुरी स्वामी 4– श्रीमती कमला पुत्री सीतपुरी स्वामी पत्नी मूलगिरी स्वामी 5– श्रीमती नमो पुत्री सीतपुरी पत्नी दलपतगिरी स्वामी 6– श्रीमती चनु पुत्री सीतपुरी पत्नी अर्जुनराम के का0मुकाम– 6.1–कैलाशपुरी पुत्र अर्जुनराम 6.2– भेरूबाई पुरी पुत्री अर्जुनराम 6.3– रमेशपुरी पुत्र अर्जनराम 6.2 एवं 6.3 नाबालिग जरिये सरंक्षक गुमानपुरी स्वामी निवासी भादरीया तहसील पोकरण जिला जैसलमेर 7– श्रीमती अंतरी पुत्री कल्याणगर पत्नी वीरमपुरी के का0मुकाम – 7.1–ढेली पुत्री वीरमपुरी स्वामी निवासी सुरा तहसील बाडमेर 7.2– ओटी बाई पुत्री वीरमपुरी स्वामी पत्नी सुनपुरी निवासी सिणधरी तहसील बाडमेर 7.3– उगी पुत्री वीरमपुरी स्वामी निवासी सुरा तहसील बाडमेर 8– सुखभारती पुत्री भीया भारती स्वामी निवासी लंगेरा, तहसील बाडमेर 9– राजगर पुत्र दुर्गगर स्वामी 10–अजबगर पुत्री दुर्गगर स्वामी 11–बाबुगर पुत्र दुर्गगर स्वामी सभी निवासीगण सोनडी, तहसील बाडमेर जिला जालोर 12–ओमपर्वत पुत्री नखत पर्वत स्वामी निवासी सोनडी हाल इन्द्रानगर बाडमेर 13–हेमपर्वत पुत्री नखतपर्वत स्वामी निवासी सोनडी हाल इन्द्रानगर बाडमेर 14–भंवरगिरी पुत्र दानगर स्वामी 15– हुकमगिरी पुत्र दानगर स्वामी 16–धनगिरी पुत्र दानगर स्वामी 17–कमला बेवा दानगर स्वामी सभी निवासीगण सोनडी तहसील बाडमेर जिला बाडमेर 18–तहसीलदार बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 73 जिसे तहसीलदार बाडमेर द्वारा दिनांक 19–3–2007 को स्वीकृत किया गया ।

उपस्थितिः—

1— श्री चेतनराम जाखड अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2— श्री राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 18 की ओर से ।

3— शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 7—3—2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गाम सोनडी हाल ग्राम सातल भाखरी स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 61 रकबा 257.08 बीघा, खसरा नंबर 131 रकबा 96 बीघा, खसरा नंबर 187 रकबा 87.04 बीघा तथा खसरा नंबर 209 रकबा 103.11 बीघा भूमि दानगर, मोरी, अंतरी पि0 कल्याणगर 1/3, केकू बेवा धूडगर 1/3 एवं दुर्गगर पुत्र सादुलगर स्वामी 1/3 हिस्सा सहखातेदारी का था । उक्त भूमि के सहखातेदार केकू ने खसरा नंबर 61 मे से अपने 1/3 हिस्से की 85. 16 बीघा भूमि का बेचान नखतपर्वत पुत्र देवपर्वत को कर दिया तथा उसके आधार पर म्युटेशन दर्ज होकर उक्त भूमि नखतपर्वत के खातेदारी मे दर्ज हो गई परंतु अन्य खसरा नंबर की भूमियो मे केकू का हिस्सा दर्ज रहने के कारण केकू का नाम पूर्व अनुसार ही रख दिया गया ।

इसी प्रकार सहखातेदार दुर्गगर ने भूमि उक्त खसरा नंबर 61 मे से अपने हिस्से की भूमि मे से 61.16 बीघा भूमि का बेचान हेमपर्वत एवं ओमपर्वत को कर दी तथा बेचान के बाद दुर्गगर के हिस्से मे केवल 24 बीघा भूमि रही । उक्त भूमि के सहखातेदार मोरी एवं केकू के फौत हाने पर उनके उतराधिकारियो के पक्ष मे नामांतरकरण संख्या 152 दिनांक 23—12—78 को ग्राम पंचायत नांद द्वारा स्वीकृत किया गया । उसके बाद सहखातेदार दानगर के फोत होने पर उसके खाते की भूमि का नामांतरकरण उसके वारिसान के नाम दर्ज किया गया ।

उक्त अपीलाधीन भूमि के खसरा नंबर 61 के केतागण ओमपर्वत एवं हेमपर्वत ने अपनी खरीदसुदा भूमि 61 बीघा 16 बिस्वा भूमि के लिए एक राजस्व वाद संख्या 40/85 पेश किया, जिसके निर्णय दिनांक 4—6—1986 के द्वारा उक्त भूमि केतागण के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये गये ।

रेस्पो0 संख्या 1 से 6 ने अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना मोरी पुत्री कल्याणगर के उतराधिकारी बताकर म्युटेशन संख्या 152 दिनांक 23—12—78 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के न्यायालय मे दिनांक 30—7—2001 को अपील पेश की जिसको उपखण्ड अधिकारी बाडमेर ने अपने निर्णय दिनांक 3—7—2002 के द्वारा म्युटेशन संख्या 152 को निरस्त कर मोरी के हिस्से की भूमि को रेस्पो0 संख्या 1 से 6 के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने इस न्यायालय के समक्ष अपील पेश की थी जिसके निर्णय दिनांक 15—2—2007 के द्वारा इस विवेचन के साथ अपील को खारीज कर दिया कि

पक्षकारान के मध्य इसी भूमि बाबत वाद विचाराधीन है तथा उक्त वाद मे पक्षकारो के अधिकारो का निर्णय होना है एवं वाद मे पारित निर्णय ही पक्षकारो के बीच अंतिम निर्णय होगा । जिसके विरूद्ध अपीलांटगण ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे निगरानी पेश की जिसको माननीय राजस्व मण्डल ने दिनांक 2–3–2007 को ग्रहण की जाकर विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की वर्तमान स्थिति मण्डल के अन्य आदेश तक यथावत रखने के आदेश पारित किये गये । अपीलांटगण ने माननीय राजस्व मण्डल के स्थगन आदेश दिनांक 2–3–2007 के संबंध मे दिनांक 12–3–2007 को पटवारी हल्का एवं तहसीलदार बाडमेर को सूचित कर दिया लेकिन पटवारी हल्का एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 6 ने मिलावट कर पीछे की तारीख मे म्युटेशन संख्या 73 भरकर दिनांक 19–3–2007 को तहसीलदार बाडमेर द्वारा स्वीकृत कर दिया, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

अपीलांट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित । अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार ने अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत करने से पूर्व अपीलांट्स को नोटिस या सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया इसलिए अपीलाधीन आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि माननीय राजस्व मण्डल से दिनांक 2–3–2007 को अपीलाधीन भूमि के संबंध मे मौके एवं राजस्व रेकर्ड की वर्तमान स्थिति कायम रखने बाबत स्थगन आदेश जारी कर दिया था तथा इसकी सूचना अपीलांट्स ने दिनांक 12–3–2007 को ही पटवारी विशाला एवं तहसीलदार बाडमेर को दे दी थी तथा स्थगन आदेश की छायाप्रति भी दिनांक 20–3–2007 को प्रस्तुत कर दी थी परंतु जानबुझकर अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 73 दिनांक 19–3–2007 को स्वीकृत कर दिया, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि न्यायालय सहायक कलेक्टर बाडमेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 57/94 मे पारित निर्णय दिनांक 23–5–2001 मे मोरी को निसंतान फौत होना एवं उसका हिस्सा दानगर के उतराधिकारियो एवं अन्तरी मे निहित होना माना था ऐसे मे रेस्पो0 संख्या 1 से 6 मोरी के उतराधिकारी है अथवा नही, इसका निर्णय मूल वाद से ही होना था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावे के निर्णय से पूर्व ही उनका अपीलाधीन भूमि मे 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय मे माननीय न्यायालय के जिस निर्णय दिनांक 15–2–2007 का उल्लेख करते हुए स्वीकृत किया है, उसमे न तो किसी पक्षकार का हिस्सा घोषित किया गया है और न ही

नामांतरकरण भरने का आदेश दिया गया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा म्युटेशन संख्या 73 पर पारित आदेश विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा तहसीलदार बाडमेर द्वारा नामांतरकरण संख्या 73 पर पारित आदेश दिनांक 19–3–2007 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि चूँकि अपीलाधीन भूमि के संबंध मे पक्षकारान के बीच विचाराधीन वाद के निर्णय से ही अधिकारो का बेहतर विनिश्चयन होना है तथा माननीय राजस्व मण्डल मे निगरानी विचाराधीन है जिसमे विवादित आराजी के संबंध मे मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये हुए है । ऐसे मे इस म्युटेशन की अपील मे पृथक से किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नही होने से अपीलांटगण की यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अपील पत्रावली एवं अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात जिसमे विभिन्न न्यायालयो द्वारा पारित निर्णयो आदि का अवलोकन किया । उक्त अपील ग्राम सोनडी स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 61, 131, 187 व 209 की कुल रकबा 458 बीघा 07 बिस्वा भूमि के संबंध मे सरपंच ग्राम पंचायत नांद द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 152 दिनांक 23–12–78 के विरूद्ध प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के समक्ष अपील संख्या 21/2001 पेश की जाने पर उपखण्ड अधिकारी बाडमेर ने अपने निर्णय दिनांक 3–7–2002 मे विस्तृत करते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत नांद द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 152 स्वीकृति दिनांक 23–12–78 को निरस्त करते हुए मु0 मोरी की जगह उसके हिस्से की भूमि अपीलांटगण के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये तथा मु0 मोरी के फोतेदगी के नामांतरकरण संख्या 152 को अवैद्य एवं शून्य मानते हुए उसके पश्चात भरे सभी नामांतरकरण को शून्य एवं अवैद्य करार देते हुए निरस्त करने का आदेश पारित किया तथा तहसीलदार बाडमेर को उक्त आदेश की पालना करने हेतु निर्देश पारित किये ।

उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3–7–2002 के विरूद्ध वर्तमान अपीलांटगण एवं रेस्पो0 संख्या 14 से 17 ने दो अपीलें न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष पेश की, जिसे न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 15–2–07 मे यह विवेचन देते हुए अस्वीकार कर दी कि पक्षकारान के मध्य इसी भूमि बाबत वाद विचाराधीन है, उक्त वाद मे पक्षकारान के अधिकारो का निर्णय होगा तथा वाद मे पारित निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा ।

उक्त निर्णय दिनांक 15–2–07 के विरूद्ध अपीलांटगण ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे एक निगरानी प्रस्तुत की जिसमे माननीय राजस्व मण्डल से दिनांक 2–3–2007 को विवादित भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की वर्तमान स्थिति मण्डल के अन्य आदेश होने तक यथावत कायम रखने के आदेश पारित किये जाने का तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध है ।

उक्त अपील अपीलांटगण ने तहसीलदार बाडमेर द्वारा स्वीकृत म्युटेशन संख्या 73 के विरूद्ध प्रस्तुत की है । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 73 का अवलोकन किया, जो कि उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के मुकदमा संख्या 25/2001 मे पारित निर्णय दिनांक 3–7–2002, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के राजस्व अपील संख्या 190/2002 मे पारित निर्णय दिनांक 15–2–07 की पालना मे भरा जाकर स्वीकृत किया गया है ।

इस संबंध मे अपीलांट का मुख्य कथन है कि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा अपील संख्या 190/2002 एवं 191/2002 मे पारित निर्णय दिनांक 15–2–07 के विरूद्ध एक निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे प्रस्तुत की जाने पर उक्त निगरानी मे दिनांक 2–3–2007 को पारित स्थगन आदेश मे अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15–2–07 मे वर्णित विवादित भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की वर्तमान स्थिति मण्डल के अन्य आदेश होने तक यथावत कायम रखने के आदेश पारित किये गये, जिसकी सूचना दिनांक 12–3–2007 को पटवारी हल्का एवं तहसीलदार बाडमेर को दे दी गई थी लेकिन पटवारी हल्का एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 6 ने मिलावट कर पीछे की तारीख मे म्युटेशन संख्या 73 भरकर दिनांक 19–3–2007 को तहसीलदार बाडमेर द्वारा स्वीकृत कर दिया। इस संबंध मे यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अपीलांट ने उक्त कथनो की पुष्टि स्वरूप कोई दस्तावेज या सबूत रेकर्ड पर पेश नही किया है जिससे यह प्रकट हो कि अपीलांट ने कब व किस तारीख को माननीय मण्डल द्वारा पारित स्थगन आदेश की प्रति तहसीलदार को पेश कर दी थी । फिर भी यदि अपीलांटगण इस तथ्य को सही होना मानते है तो इसके लिए उन्हें तत्समय तहसीलदार बाडमेर के विरूद्ध पृथक से अवमानना की कार्यवाही करनी चाहिये थी ।

अपीलांट अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजात तथा अपीलांट अधिवक्ता के कथन अनुसार अपीलाधीन भूमि के संबंध मे राजस्व वाद तथा एक निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे विचाराधीन है, जिनमे अभी निर्णय पारित होना है, तो ऐसे मे म्युटेशन अपील की इस समरी कार्यवाही मे किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नही है । अपीलाधीन भूमि के संबंध मे प्रस्तुत दावो एवं निगरानी मे पारित होने वाले निर्णय से ही अपीलांटगण के हक अधिकारो का निर्धारण होना है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 7–3–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर